न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

जमाबंदी रद्द वाद संख्या–47 / 2014–15

विजय कुमार बनाम राजेन्द्र कुमार सिंह

Under Section 9 of the Bihar Land Mutation Act, 2011

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
31/5/18	**आदेश** आवेदक विजय कुमार के द्वारा विपक्षी राजेन्द्र कुमार सिंह की पटना सदर अंचल अंतर्गत मौजा संदलपुर, खाता नं0 122 खेसरा सं0 1594 रकवा 4डी0 के लिए कायम जमाबंदी सं0 77 / 8425 को रद्द करने हेतु यह वाद दायर किया गया था। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी किये पाने के पश्चात विपक्षी को सामान्य एवं निबंधित डाक से सूचना दी गयी। विपक्षी के उपस्थित नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय सुनवाई की गयी। **आवेदक का कहना है कि** (1) मौजा सन्दलपुर खात नं0 122, खेसरा सं0 1594 रकवा 19 धूर की खरीद उनके द्वारा दिनांक 29.10.1980 के निबंधित केवाला से देवमणी देवी से की गयी थी। खरीदगी के पश्चात आवेदक जमीन पर दखल में आये तथा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{815}{4}$ वर्ष 1991–92 के द्वारा उनके नाम से जमाबंदी सं0 3558 कायम की गयी। प्रश्नगत भूखण्ड उनके शांतिपूर्ण दखल में है। (2) अंचलाधिकारी, पटना सदर के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के गलत प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 903 / 4 वर्ष 2013–14 के द्वारा खेसरा सं0 1594 के 4डी0 का दाखिल खारिज विपक्षी राजेन्द्र कुमार सिंह के नाम से कर दिया गया तथा जमाबंदी सं0 77 / 8426 कायम कर दी गयी। (3) विपक्षी के नाम से किए गये दाखिल खारिज में आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी। (4) विवादित भूखण्ड आवेदक के दखल–कब्जा में है। विपक्षी का उस पर दखल कब्जा नहीं है। (5) विपक्षी की जमाबंदी सं0 77 / 8426 कायम करते समय आवेदक की जमाबंदी रद्द नहीं की गयी, अतः यह समानान्तर जमाबंदी का मामला है। (6) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{903}{4}$ वर्ष 2013–14 के द्वारा दिनांक 19.10.2013 से कायम विपक्षी की जमाबंदी रद्द करने योग्य है।	

आवेदक के द्वारा दायर लिखित बहस में पुनः कहा गया है कि:—

(1) विपक्षी राजेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा एक जाली खानगी बंटवारा के आधार पर अंचलाधिकारी, पटना सदर को आवेदन दिया गया। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{903}{4}$ वर्ष 2013—14 के द्वारा विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति देते हुए जमाबंदी सं0 13732 दर्ज कर दी गयी।

(2) विपक्षी के द्वारा उसी दाखिल खारिज के आदेश को आधार बनाते हुए दिनांक 15.07.2014 को प्रश्नगत भूखण्ड की बिक्री सूरज कुमार वगैरह को कर दी गयी। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{857}{4}$ वर्ष 2014—15 के द्वारा सूरज कुमार वगैरह के नाम से दाखिल खारिज की स्वीकृति दे दी गयी।

(3) अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय में जमाबंदी रद्द वाद सं0 02/2013—14 अर्जुन प्रसाद वगैरह बनाम राजेन्द्र कुमार सिंह चल रहा था, जिसमें राजेन्द्र कुमार सिंह की जमाबंदी सं0 13628 को रद्द करने का आदेश पारित किया गया था।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उपलब्ध कागजात के परिशीलन से निम्न तथ्य सामने आते है।

(1) प्रश्नगत खेसरा सं0 1594 रकवा 19 धूर की खरीद आवेदक के द्वारा वर्ष 1990 में की गयी। उसी खेसरा के 4डी0 का दाखिल खारिज विपक्षी राजेन्द्र कुमार सिंह के नाम से दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{903}{4}$ वर्ष 2013—14 के द्वारा किया गया। आवेदक के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि खेसरा सं0 1594 का खतियानी रकवा कितना है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह समानान्तर जमाबंदी का मामला है।

(2) आवेदक स्वयं यह स्वीकार करते है कि विपक्षी के द्वारा एक खानगी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया गया। उक्त दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{903}{4}$ वर्ष 2013—14 के अन्तर्गत दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी। अर्थात आवेदक को दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{903}{4}$ वर्ष 2013—14 में पारित आदेश पर आपति है। आवेदक यदि उक्त आदेश से क्षुब्ध थे तो उन्हें दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा—7 के अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में अपील दायर करनी चाहिए थी। यह मामला समानान्तर जमाबंदी का नहीं है।

(3) आवेदक के द्वारा पुनः दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{857}{4}$ वर्ष 2014—15 के आदेश को भी निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश के विरूद्ध आवेदक भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

(4) आवेदक के द्वारा जिस जमाबंदी रद्द वाद सं0 02/2013—14

की बात कही गयी है तथा विविध वाद सं0 02/2013–14 के दिनांक 20.05.2014 के आदेश की प्रति संलग्न की गयी है। वह मौजा संदलपुर खाता सं0 907 खेसरा सं0 1577 से संबंधित है। प्रश्नगत खेसरा सं0 1594 से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

सम्यक विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि आवेदक के द्वारा यह मामला दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{903}{4}$ वर्ष 2013–14 एवं दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{857}{4}$ वर्ष 2014–15 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। दाखिल खारिज वादों में पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का यह उचित फोरम नहीं है। आवेदक इसके लिए भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी के न्यायालय में अपील दायर कर सकते है।

आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

31/5/19

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना

31/5/19

(वजैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता, पटना